

वरीय प्रभारी-पदाधिकारी
खाता: 37/2/12



बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-50
37-2-12

पत्रांक-प्र07-विविध(पैक्स)-04/2012- 854

/खाद्य, पटना/दिनांक-13/2/2012

प्रेषक, 9,

जयशंकर प्रसाद यादव,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश- 2001 में हुए संशोधन के आलोक में जन वितरण प्रणाली की नयी अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु पैक्सों के पास पूंजी उपलब्धता के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्र संख्या- 5875, दिनांक- 05.12.2011 के द्वारा यह अनुरोध किया गया कि कारोबार संचालन हेतु पैक्सों के पास पूंजी उपलब्धता के संबंध में Cut off तिथि 31.07.2011 प्रासंगिक नहीं रह गया है । इसलिए नयी अनुज्ञप्ति हेतु पैक्सों को आवेदन की तिथि तक अगर एक लाख की राशि उपलब्ध होगी तो वैसे पैक्सों का आवेदन विचारणीय हो ।

(2) विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में जिन पैक्सों को अनुज्ञप्ति दी जानी है, उनके खाते में आवेदन की तिथि को कम-से-कम 1,00,000/- (एक लाख) रुपये की पूंजी उपलब्ध रहनी चाहिए ।

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

आपांक 134 / आ. प्र. प्र. दिनांक 13/03/2012
प्रतिनिधि- अनुमंडल पदाधिकारी प्र. प्र. / उदा. वि. न. के
को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

आपांक प्र. प्र. पदाधिकारी

12/3/12